

UPAD060049502022



रजिस्ट्रेशन सं०-3348 / 2022

वाद सं०-2591 / 2022

राजेश कुमार बनाम श्यामा देवी

दिनांक 11.08.2022

प्रार्थनापत्र 6ग मय शपथपत्र 7ग पर वादी के विद्वान अधिवक्ता को एक पक्षीय रूप से सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया ।

वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में छायाप्रति बैनामा कागज सं०-9ग/1 लगायत 9ग/12 दाखिल किया गया है।

प्रपत्र व पत्रावली के अवलोकन के पश्चात न्यायालय की अभिमत है कि मौजूदा स्तर पर एक पक्षीय रूप से व्यादेश जारी करने का आधार पर्याप्त नहीं है। विपक्षी को नोटिस जारी हो। वादी पैरवी उभय भौति करें। पत्रावली वास्ते आपत्ति/निस्तारण प्रार्थनापत्र 6ग दिनांक 12.09.2022 को पेश हो।

(पुरुषोत्तम अवस्थी)
सिविल जज(क०श्रे०)शर्की
इलाहाबाद।